कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को सम्बोधित अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–सम्ब. 831/सत्तर–6–2011–2(549)/2011, दिनांक–24.09.2011 की टंकित प्रतिः–

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–पू.वि.वि./सम्बद्धता/02(एक)/6298, दिनांक– 01.09.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन **कृष्णा महाविद्यालय, ताजपुर (उस्मानपुर), पिपरीडीह, मऊ** को **स्नातक स्तर** पर **कला संकाय** के अन्तर्गत **हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, मध्यकालीन इतिहास, समाजशास्त्र, अंग्रेजी एवं शिक्षाशास्त्र** विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन **दिनांक–01.07.2011 से** आगामी तीन वर्षो हेतु **सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उन पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

ह0/–
(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/02(एक)/2011/ 11043 — दिनांक : 21/12/2012

प्रतिलिपि :–

1. **प्रबन्धक, कृष्णा महाविद्यालय, ताजपुर (उस्मानपुर), पिपरीडीह, मऊ** को इस आशय के साथ प्रेषित कि स्नातक कला संकाय के अन्तर्गत उपरोक्त विषयों में 7x60 = 420 सीटों से अधिक प्रवेश नहीं लिया जायेगा ।
2. सहायक/उप कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय/स्टोर।

कुलसचिव

कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को सम्बोधित अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–सम्ब0 233/सत्तर–6–2014–2(173)/2014, दिनांक–25 जून, 2014 की टंकित प्रति:–

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–पू.वि.वि./सम्बद्धता/02–60(एक)/2014/6986, दिनांक–30.04.2014 एवं पत्रांक–पू.वि.वि./सम्बद्धता/02–60(एक)/2014/7481, दिनांक–01.06.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन **कृष्णा महाविद्यालय, ताजपुर(उस्मानपुर), पिपरीडीह, मऊ** को **स्नातक स्तर** पर बी0ए0 पाठ्यक्रम के **हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, मध्यकालीन इतिहास, समाजशास्त्र, अंग्रेजी** एवं **शिक्षाशास्त्र** विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2013–14 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक–01.07.2014 से शैक्षिक सत्र 2014–1**5** हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. शैक्षिक सत्र 2013–14 का परीक्षाफल शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर, 2002 के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में प्रश्नगत सशर्त पूर्वानुमति के आदेश को सम्बद्धता(स्थायी) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2014 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता आदेश निर्गत किये जायेंगे।
2. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

ह0/–
(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

आदेश

अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–सम्ब0 233/सत्तर –6–2014–2(173)/2014, दिनांक–25 जून, 2014 के प्रस्तर–1 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में कृष्णा महाविद्यालय, ताजपुर(उस्मानपुर), पिपरीडीह, में शैक्षिक सत्र 2013–14 का परीक्षाफल शासनादेशानुसार 60 प्रतिशत से अधिक होने की पुष्टि के फलस्वरूप महाविद्यालय को उपरोक्त सन्दर्भित विषयों में **दिनांक–01.07.2014** से **सम्बद्धता** (स्थायी) प्रदान किया जाता है।

ह0/–
प्रो.(पीयूष रंजन अग्रवाल)
कुलपति
दिनांक–03.02.2015

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: पू.वि.वि./सम्ब0/02–60(एक)/2015/ 10160 **दिनांक :** 11-02-15

प्रतिलिपि :–

1. अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–सम्ब0 233/सत्तर–6–2014–2(173)/2014, दिनांक–25 जून, 2014 के प्रस्तर–1 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबन्धक/प्राचार्य, कृष्णा महाविद्यालय, ताजपुर(उस्मानपुर), पिपरीडीह, मऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विषयों में निर्धारित सीटों से अधिक प्रवेश नहीं लिया जायेगा। AISHE Survey के अन्तर्गत महाविद्यालय का रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें।
3. सहायक/उप कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय/स्टोर।

कुलसचिव